23/4/18 पक्षकारान उप०।
पी. ओ. सा. बाहर पधारे है। पेशी इत्तला होकर पत्रावली
दिनांक 22/5/18 को पेश हो।

16.05.2018 पत्रावली आज नियत तारीख पेशी से पूर्व राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प सोजत में प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष उपस्थित।
सरकारी पैरोकार ने जवाब प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति वकील अपीलाण्ट को दिलाई गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि ग्राम रेपडावास के खसरा नम्बर 770 रकबा 0.6700 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है, जिसके राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का नाम भगवान पुत्र घीसा दर्ज था। प्रशासन गांवों के संग अभियान में पटवारी हल्का द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण दायर करते समय भगवानराम पुत्र घीसाराम के स्थान पर भगवानराम पुत्र भीकाराम दर्ज कर दिया, जो गलत है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील नामान्तरकरण अपास्त करावें। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम रेपडावास की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खसरा नम्बर 770 रकबा 0.6700 हैक्टेयर की भूमि भगवान पुत्र घीसा दर्ज है। इसमें लगे नोट के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 598 दिनांक 28.01.2013 न्याया0 आदेश के अनुसार नाम शुद्धि से भगवानराम पुत्र घीसाराम दर्ज किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण जिस आदेश के जरिये दायर किया गया, उसमें नाम शुद्ध करने के आदेश पारित किए गए है, जबकि जैर अपील नामान्तरकरण के जरिये अपीलाण्ट के पिता का नाम बदल दिया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम रेपडावास के नामान्तरकरण संख्या 598 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 28.01.2013 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

अति. जिला कलक्टर, पाली